संख्या-130/2021/547/23-14-2021-15आ0बु0वि0नि0/2021

प्रेषक,

महेश कुमार,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,

जालौन।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 24 मार्च, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 में जनपद-जालौन की 01 परियोजना का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी के पत्र संख्या-807/बु0वि0नि0-राज्यांश-जालौन/2020-21, दिनांक 30.01.2021 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद जालौन की 01 परियोजना का निर्माण कराये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त 0 138.21 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि (जिसमें अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत, लेबर सेस 1 प्रतिशत, मूल्यह्रास निधि 1.5 प्रतिशत एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 6,91,000.00 (रू0 छः लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6
1	रेढ़र से गैस एजेंसी होकर मारगपुरा सम्पर्क मार्ग।	1.90	138.21	6.91	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी0-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

5- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) विभाग द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

(9) एक प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) नियमानुसार यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(14) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(15) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्थासे प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-24-वृहत निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-1021(1)/दस-8-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

महेश कुमार

संयुक्त सचिव।

संख्या-130/2021/547(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।

3- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ।

5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्य मंत्री व मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी।

9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई (जालौन) ।

10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/लोक निर्माण अनुभाग-10

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेश कुमार

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।